संख्या-11/2020/940/पांच-1-2020-4(1)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2020

विषय- कोविड-19 रोग की आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्टिंग हेतु जिला चिकित्सालय, बलिया में स्थापित किये जाने वाली बी0एस0एल0-2 स्तर की पैथालॉजी प्रयोगशाला को क्रियाशील किये जाने हेतु मानव संसाधन के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/2020/8526-29, दिनांक 31.07.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 रोग की आर0टी0पी0सी0आर0 विधि द्वारा टेस्टिंग हेतु जिला चिकित्सालय, बलिया में बी0एस0एल0-2 टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के उपरान्त उन्हें क्रियाशील किये जाने हेतु कुल 09 पदों, जिनका विवरण नीचे अंकित है, को अस्थायी रूप से आदेश निर्गत होने की तिथि से 28.02.2021 तक के लिये, बशर्ते इन पदों को पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड/ग्रेड-पे	स्वीकृत पदों की संख्या
1	मेडिकल ऑफीसर	रु0 15600-39100/ 5400/-	01
2	नॉन मेडिकल साइन्टिस्ट	रु0 15600-39100/ 5400/-	02
3	लैबोरेटरी टेक्नीशियन	रु0 5200-20200/ 2800/-	03
4	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	--	01 (आउटसोर्स आफ सर्विसेज के आधार पर)
5	प्रयोगशाला सहायक	रु0 5200-20200/ 2000/-	02
	कुल योग :-		09

(1) उक्त स्वीकृत किये जा रहे पद अस्थायी हैं तथा 28.02.2021 तक की अवधि के लिये इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पर नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से इस प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाते हैं, बशर्ते कि इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

(2) चूँकि सृजित होने वाले नियमित पदों पर वेतन भत्तों व अन्य पदों पर आने वाले व्यय की वास्तविक आवश्यकता नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात ही होगी। अतएव इस पर आने वाले व्यय-भार हेतु आवश्यक धनराशि के लिये वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त पद चिकित्सा विभाग के सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे तथा इन पदधारकों को समय-समय पर अनुमन्य वेतन तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(4) सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से सेवाओं के आउटसोर्स के आधार पर सृजित होने वाले पदों की सेवाए 'आउटसोर्स आफ सर्विसेज' के आधार पर ली जायेगी तथा सेवाप्रदाता एजेन्सी का चयन पारदर्शी रीति से सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी।

(5) इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यक की अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनेत्तर 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-752/दस-2020 दिनांक 27 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3-निदेशक(संचारी रोग)/निदेशक(चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4-वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बलिया।
6-अपर निदेशक(विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7-सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
8-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बलिया।
9-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
10-चिकित्सा अनुभाग-2/3/4/5/6/7/8
11-गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in